मम जो हु...
...त में जारी हु...
ब नाम...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला (टोंक)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः— 536 / 2022 — निर्णय दिनांक :— 8/5/2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :—

1. कमला पुत्री रामचन्द्र जाति बाबाजी उम्र बालिग निवासी रामसागर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
2. काली पुत्री रामचन्द्र जाति बाबाजी उम्र बालिग निवासी रामसागर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
3. द्वारका पुत्र रामचन्द्र जाति बाबाजी उम्र बालिग निवासी रामसागर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
4. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बाबाजी उम्र बालिग निवासी रामसागर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
5. मडा पुत्र रामचन्द्र जाति बाबाजी उम्र बालिग निवासी रामसागर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
6. लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति बाबाजी उम्र बालिग निवासी रामसागर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

—प्रार्थीगण—

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक (राज.)

—अप्रार्थीगण—

उपस्थिति :— श्री सावरिया बैरागी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार नगरफोर्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि संयुक्त खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 130 खसरा नम्बर 520 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 521 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 522 रकबा 1.16 है0 कुल किता—3 कुल रकबा 2.08 है0 वाके ग्राम रामसागर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। उक्त आराजीयात की सहखातेदार सुरजा पत्नि रामचन्द्र

मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान् प्रार्थीगण है जो पूर्व में रिकॉर्ड में है। प्रार्थीगण ने पूर्व में नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मौके पर प्रार्थीगण एवं पड़ोसी खातेदारों में मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी नही करवायी गई तो मौके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई–झगडा होगा तथा अनावश्यक रुप से मुकदमें बाजी बढेगी। उक्त भूमि बाबत् कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नही है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार नगरफोर्ट को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार नगरफोर्ट की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– ग्राम रामसागर के खाता संख्या 130 खसरा नम्बर 520 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 521 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 522 रकबा 1.16 है0 की पत्थरगढी हेतु रिपोर्ट निम्नानुसार है – उक्त आराजी आवेदक के खातेदारी में दर्ज है, एवं आंशिक भाग पर भंवरलाल, हेमराज, कैलाश, नरेश पि० सुखपाल जाति माली निवासी रामसागर का कब्जा है। आवेदक का पडोसी खातेदार भंवरलाल, हेमराज, कैलाश, नरेश पि0 सुखपाल जाति माली निवासी रामसागर से सीमा विवाद हैं। आवेदक का जिन खातेदारो से विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है, उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के संबन्ध में किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। आवेदक कि खातेदारी भूमि कि सीमाओ पर अतिक्रमित राजकिय भूमि नहीं है। उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार नगरफोर्ट को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी का कब्जा होने पर नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर, जमाबंदी सम्वत् 2072–75 में अंकित खाता संख्या 130 खसरा नम्बर 520 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 521 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 522 रकबा 1.16 है0 कुल किता–3 कुल रकबा 2.08 है0 वाके ग्राम रामसागर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली